हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

21.6.18

वकील प्रार्थी के निवेदन पर
उक्त प्रकरण आज पेशी पर लिया
गया। उक्त प्रकरण दिनांक 2.11.16
को रेजिस्टर हो लिये के बाद भी
इस प्रकरण का मूल वाद/प्रपत्र
दिनांक 30.6.17 को प्राप्त होने पर
इस पत्रावली के साथ (168/10) पेश मूल
नथी भी मूल प्रपत्र को वकील
प्रार्थी ने स्वयं ने निरक्षण करवा ली
(मूल वाद में सभी नाम होने से)
इस लिये उक्त रद्द रेजिस्टर को काम
वापिस बंद की जाती है पत्रावली पेश नव
शुमार होकर बाद मय सारवल
रफा दफा हो।

अध्यक्ष
फास्ट ट्रैक अदालत
[illegible]

Scanned by CamScanner